

// प्रपत्र- II //

ज्ञाप क्रमांक/2072/शि.का.अधि./अनु-मान्य./2018-19

राजनांदगांव दिनांक 25-03-2018

प्रति,

प्रबंधक गुरुकुल शिक्षा समिति राजनांदगांव

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उपनियम (4) के तहत विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र की तारीख..... के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्तर्वर्ती पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत मैं 25-03-2018 कक्षा नवमी से बारहवीं तक तीन वर्षों की अवधि के लिये जो दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2021 तक प्रभावशील रहेगा, अन्तिम मान्यता प्रदान करने के लिए संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पालन किये जाने के अधीन है :-

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा VII के पश्चात् की मान्यता/संबद्धता करने के लिये कोई बाधा विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के संबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति किसी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा होने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का पालन किया जाएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिये विद्यालय अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसे प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उनके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु तक सबुत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:- (एक) प्रवेश दिये गए किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उस विद्यालय से निष्कारि नहीं किया जाएगा। (दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा। (तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। (चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। (पांच) अधिनियम के उपबंधों च के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। (छ) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनका इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता अर्जित करेंगे। (सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधिन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और (आठ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

कमश: पिछले पृष्ठ पर

68

कमरा: पहले पृष्ठ से _____

7. विद्यालय समूचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यच के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय , अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल , कुल निर्मित का क्षेत्रफल, खेल के मैदान का क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, प्रधानपाठक सह कार्यालय सह भण्डार हेतु कक्ष, बालकों और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय/पेयजल सुविधा मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोईया, बाधारहित पहुच, अध्यापन पठन सामग्री / कीड़ा, खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता ।
9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षा नहीं चलाई जाएगी ।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाएगा।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 186 (1860 का 21) की अधिन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।
12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या सं । किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है ।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड़ा संख्यांक A-071 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निर्देशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिक के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या वि के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण , यदि के गे , को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. आपकी संस्था को प्रदान की जा रही यह मान्यता अस्थायी है , शाला संचालन के किसी भी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि आपके संस्था द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शाला संचालन हेतु वर्णित नियम/निर्देश एवं विद्यालय संचालन के मान एवं मानकों (धारा 19 और 25) का उल्लंघन किया जा रहा है तो यह मान्यता स्वमेव निरस्त मानी जावेगी , जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
राजनंदागांव